UPBB010033082018

न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01, बाराबंकी।

उपस्थितः विनय कुमार सिंह–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code-UP 6068

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या–17/2018

1–अनुराग उर्फ दीपू, उम्र लगभग–22 वर्ष, पुत्र–श्री राम प्रकाश
2–अर्जुन उर्फ सीपू, उम्र लगभग–20 वर्ष, पुत्र–श्री राम प्रकाश
निवासीगण–मोहल्ला ठाकुर द्वारा, नगर पंचायत हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी। हाल पता–ग्राम धरौली, परगना–सूर्यपुर, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– शिवकेश, आयु करीब–24 वर्ष, पुत्र–श्री शिवशंकर
2– शैलेश, उम्र करीब–22 वर्ष, पुत्र–श्री शिवशंकर
3– अभिषेक, उम्र करीब–14 वर्ष नाबालिग संरक्षिका माता ऊषा रानी पत्नी शिव शंकर
समस्त निवासीगण–ग्राम धरौली, परगना–सूर्यपुर, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी।

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील न्यायालय सिविल जज(जू.डि.), रामसनेहीघाट, कोर्ट संख्या–14, बाराबंकी द्वारा मूलवाद संख्या–46/2017, अनुराग उर्फ दीपू आदि बनाम शिवकेश आदि में पारित आदेश दिनॉकित 27.04.2018 के विरुद्ध संस्थित की गयी है। उक्त आदेश पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र ग–6 निरस्त किया गया है।

2. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील वर्ष 2018 से लम्बित है। प्रस्तुत पत्रावली माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार **APAaR-DJ-V** की पत्रावली होने के कारण पत्रावली का निस्तारण वरीयता के आधार पर किया जा रहा है।

3. अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र ग–6 के आधार पर अपीलार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा० दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण के सगे नाना चार भाई थे तथा चारों भाईयों के मकानात ग्राम धरौली के आबादी में अलग अलग कायम थे। चारों भाईयों की रिहाइशी मकानों के अतिरिक्त चारों भाई

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:07:13 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

आराजी गाटा संख्या 666/1.4710 हे० एवं 667/0.1700 हे० स्थित ग्राम धरौली के संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील थे तथा मौके पर हर दो किता नम्बरान मजकूर जो कि आपस में एक दूसरे से मिले थे कि आराजी को अपने 1/4 हिस्से की बिना पर बांटे हुए थे। स्व० भोलानाथ ने अपने उपरोक्त 1/4 हिस्से की आराजी का एक जुज हिस्सा (लखनऊ–फैजाबाद रोड के मुलहिक जानिब उत्तर) पर वर्ष 2006–07 में दस अदद फोख्ता कमरे, चार दुकाने मय गैलरी व गोदाम अपनी निजी कमाई से अपनी दोनों पुत्रियों श्रीमती गीता देवी व श्रीमती सुनीता देवी के नाम से बनाया था तथा बीचो बीच गली के ऊपर गीता सुनीता भवन का नाम लिखवाया था। स्व० भोला नाथ ने अपनी कमाई से अपने दोनों नातियों के भविष्य एवं अपनी दोनो पुत्रियों के स्नेह हेतु उक्त निर्माण कराया था ताकि वादीगण अपना रोजगार कर सके। उपरोक्त निर्माण में दो दुकानों में वादीगण कोयले की बिक्री का कार्य तथा अन्य दो कमरे वादी संख्या 1 द्वारा दिए गए है तथा उनका किराया भी वादी संख्या 1 द्वारा लिया जा रहा है। प्रस्तुत वाद में विवाद वसीयत मंसूखी का है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के नाना स्व० भोलानाथ से उपरोक्त जायदाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा एक जाली वसीयत दिनांक 28.10.2015 को गलत तथ्यों एवं बीमारी व बुढ़ापा की स्थिति में करवा ली गयी। स्व० भोला नाथ जिस समय उपरोक्त वसीयत की गयी, उसके परिणामों को समझने में बुढ़ापे व बीमारी के कारण असमर्थ थे। विवादित वसीयतनामा न तो स्व० भोलानाथ को पढ़कर सुनाया गया, न उस पर उनके अंगूठे बनवाए गए। उपरोक्त वसीयतनामा का जिक्र स्व० भोलानाथ ने अपने मरने के पहले वादीगण से कभी नहीं किया। अतः विवादित वसीयतनामा निरस्त किए जाने योग्य है। वादीगण द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि स्व० भोलानाथ की मिल्कियत व आराजी व उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति व उसमें मौजूद पेड़ों फसरों व मकानियत को क्रमशः न तो काटे और न ही कोई नुकसान पहुंचाए।

4. प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति ग–34 प्रस्तुत की गयी कि स्व० भोलानाथ ने अपने जीवनकाल में शुद्धबुद्धि व सचेत दशा में दिनांक 28.10.2015 को स्वेच्छा से एक रजिस्ट्रीशुदा वसीयतनामा इस आशय का किया कि जब तक स्व० भोलानाथ जीवित रहेंगे, वह स्वयं अपनी कुल चल–अचल सम्पत्ति के मालिक रहेंगे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात मौजूद व भविष्य में जो पैदा होगा या जहां कहीं भी हो कुल के मालिक स्व० भोलानाथ के समान ही उनके सगे भतीजे प्रतिवादीगण होंगे। उक्त वसीयतनामा

दिनांकित 28.10.2015 बही संख्या 3 जिल्द संख्या 225 के पृष्ठ संख्या 171 से 182 पर क्रमांक 282 पर रजिस्ट्री उप–निबन्धक रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में की गयी। स्व० भोलानाथ की मृत्यु के पश्चात उनकी कुल चल व अचल सम्पति पर प्रतिवादीगण का कब्जा व दखल है तथा वादीगण से उनकी सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का वास्ता व सरोकार नहीं है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. वादीगण द्वारा रिज्वाइण्डर शपथ पत्र ग–40 दाखिल कर प्रतिवादीगण की आपत्ति का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र के कथनों का समर्थन किया गया है।

6. वादीगण द्वारा सूची ग–9 से कागज संख्या ग–10 वसीयतनामा की सत्यप्रतिलिपि, ग–11 मृत्यु प्रमाण पत्र, ग–12 खाता विवरण, ग–13 आधार कार्ड की छायाप्रति, ग–14 वोटर कार्ड की छायाप्रति, ग–15 मतदाता पर्ची की छायाप्रति, ग–16 निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ग–17 वसीयतनामा की सत्यप्रतिलिपि, ग–18 से ग–25 डाक्टर के पर्चे, ग–26 फोटोग्राफ दाखिल किया गया है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त आक्षेपित आदेश पारित कर वादी मुकदमा का अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र ग–6 निरस्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित की गयी है।

8. **अपील के आधार संक्षेप में** इस प्रकार है कि, विचारण न्यायालय का आदेश कानून की दृष्टि से अवैध, गलत और अनुचित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से और गम्भीर अनियमितता के साथ प्रयोग किया है, जो वादी/अपीलार्थी गण के साथ घोर अन्याय के बराबर है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन ग–6 पर निर्णय लेने से पहले तीन मूलभूत तत्वों का उल्लेख किया है फिर भी ना तो मामले के तथ्यों के आधार पर इनपर चर्चा की है और ना ही इस संबंध मे कोई निष्कर्ष दिया है और परिणामस्वरूप उसने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मनमाना आदेश किया है। आवेदन ग–6 खारिज करते हुये विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादीगण के पास पंजीकृत वसीयत मात्र से (जिस वसीयत को मुकदमे के माध्यम से रद्दकरने की मांग की जा रही है) और एक बार रद्द ना होने पर, इसका प्रभाव समाप्त नहीं किया जा सका है और इसलिये वादी/अपीलार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, पूरी तरह से अवैध और विधि की दृष्टि से गलत है। इस संबंध में यह ध्यान नहीं रखा

गया कि अन्तरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय विवादित वसीयत की प्रमाणिकता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि अन्तरिम निषेधाज्ञा देना विचारण न्यायालय का विवेकाधिकार है, लेकिन आवेदन ग–6 को अस्वीकार करते समय विचारण न्यायालय ने अन्तरिम निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने से सम्बन्धित स्थापित कानून की अनदेखी करते समय, इस विवेकाधिकार का प्रयोग अत्यन्त मनमाने ढंग से किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस कानून पर विचार नही किया है कि न्यायालय को सम्पत्ति की प्रकृति में परिवर्तन की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें सम्पत्ति का हस्तांरण या अलगाव भी शामिल है, क्योंकि इससे उस पक्ष को हानि या क्षति हो सकती है जो अन्ततः कार्यवाही में सफल हो सकता है। प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते समय, विचारण न्यायालय द्वारा ना तो वादी/अपीलार्थीगण के मामले पर चर्चा की और ना ही अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.04.2018 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

9. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के स्तर पर तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 पूर्णतया उचित है। यदि अपीलार्थीगण को कोई लाभ दिया जाता है तो प्रत्यर्थीगण की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी दशा में नहीं होगी, लिहाजा अपील सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

10. अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना गया, प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील एवं तलबशुदा विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

11. इस अपीलीय न्यायालय द्वारा अपना कोई निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 27.04.2018 के सुसंगत अंश का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि ;

'' जहां तक अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का

प्रश्न है, वहां तीन तत्वों का पाया जाना आवश्यक है।

1. प्रथमदृष्टया मामला

2. सुविधा का संतुलन तथा

3. अपूर्णनीय क्षति

जहां तक प्रथमदृष्टया मामले का संबंध है वहां वादीगण द्वारा यह तर्क लिया गया कि विवादित वसीयतनामा प्रतिवादीगण द्वारा स्व० भोलानाथ से उनकी अस्वस्थता के दौरान निष्पादित करवाया गया, जिस समय विवादित वसीयतनामा का निष्पादन हुआ उस समय स्व० भोलानाथ को न तो वसीयतनामा पढ़कर सुनाया गया और न ही उनके अंगूठे लगवाए गए। प्रतिवादीगण द्वारा यह कहा गया कि उक्त विवादित वसीयत स्व० भोलानाथ द्वारा अपनी सचेत अवस्था में स्वेच्छा द्वारा निष्पादित की गयी है। वादीगण द्वारा यह याचना की गयी कि दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित रखा जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायायल की विधि व्यवस्था पारस नाथ सिंह बनाम श्रीमती सिरताजी व अन्य ख्2012 (117) त्क 143, एवं श्रीमती रूचि गुप्ता बनाम श्रीमती सुधा रानी प्रतिवादीगण द्वारा यह कहा गया कि विवादित वसीयतनामा उप निबन्धक रामसनेहीघाट के समक्ष निष्पादित किया गया है। अतः जब तक उक्त वसीयतनामा निरस्त न किया जाए, तब तक वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई प्रश्न नहीं बनता।

उपरोक्त तर्को एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा

स्व० भोलानाथ से धोखे व फरेब से उक्त वसीयतनामा ईलाज के बहाने ले जाकर तहरीर करवाया गया एवं उसे पंजीकृत करवाया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित वसीयतनामा पंजीकृत है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक कोई पंजीकृत विलेख निरस्त न कर दिया जाए तब तक न्यायालय उसके सत्य होने की उपधारणा करेगा। अतः वादीगण का न तो कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है, न सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और यदि वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न की गयी तो वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति भी कारित नहीं होती है।

उक्त आधारों पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त किए जाने

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त किया जाता है।''

12.1 उक्त वर्णित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष **अवधारण हेतु मुख्य अविधार्य बिन्दु** यह हैं किः–

12.2 क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.04.2018 को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि या क्षेत्राधिकार की अनियमितता कारित की गयी है?

13.1 प्रस्तुत सिविल अपील में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर एवं आधार अपील को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आक्षेप आदेश, आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु तीन आवश्यक अवयवों जोकि, वादी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति से सम्बन्धित है, को दृष्टिगत रखते हुये एवं उसपर अभिमत देते हुये अपना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

13.2 जहां तक वादी का प्रथम दृष्टिया केस का सम्बन्ध है, इस सन्दर्भ

में यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में स्व0 भोलानाथ द्वारा एक पंजीकृत वसीयत जिसे कि वादी द्वारा इलाज के बहाने धोखे व फरेब से कराया जाना कहा गया है, जोकि एक पंजीकृत दस्तावेज है, अतः ऐसा प्रश्नगत वसीयतनामा पंजीकृत होने के आधार पर विधि के सुस्थापित सिद्धांत कि ''जबकि कोई पंजीकृत विलेख निरस्त ना कर दिया जाये तब तक न्यायालय उसके सत्य होने की उपधारणा करेगा।'' के आधार पर वादी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया मामला पाया गया, ना सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया गया और ना ही वादी को कोई अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना को पाते हुये वादी का प्रार्थनापत्र ग–6 निरस्त किया गया।

13.3 सम्बन्धित **वसीयत प्रमाणिक** (Genuine) होने के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि, प्रार्थनापत्र ग–6 के निस्तारण के स्तर पर वसीयत की प्रमाणिकता (Genuineness) को नहीं देखना होता है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था, **PARAS NATH SINGH V. Smt. SIRTAJI KUMWARI and another, 2012(117) RD 143** प्रस्तुत की गयी है, जिसका कि मेरे द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

14.1 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की व्यवस्था, **Smt. MADHU BHUSHAN and another v. MOHD. MUKEEM ROSHAN, 2023(160) ALR 805,** इस बिन्दु पर दी गयी है कि, 'विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को विधि अनुसार देखना होता है, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रदान किये जाने व निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में समस्त अभिवचन एवं प्रपत्रो का अवलोकन किया जाना चाहिए।' सम्बन्धित मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इच्छा–पत्र (will) के सबूत के सन्दर्भ में धारा 129 पर विचार नहीं किया गया था, जोकि वसीयत को पंजीकृत होने की अपेक्षा करती है। साथ ही अन्य विधि के घटकों पर विचार नहीं किया गया था। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया। प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है, जैसा कि, वादी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा0दी0 से ही स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी की वसीयत एक पंजीकृत वसीयत है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था का लाभ अपने पक्ष में पाने का अधिकारी नहीं है।

14.2 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से **धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों** के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की व्यवस्था, **Satya Prakash and another vs. Ist Additional District Judge, Etah and others 2002(1) ARC 450** प्रस्तुत की गयी। उक्त व्यवस्था के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, यह सुस्थापित विधि है कि अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रदान किया जाना अथवा मना किया जाना न्यायालय की एक 'वैवेकिक शक्ति' है। वादी के प्रथम दृष्टया मामले को वादी के स्वत्व होने से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वादी का स्वत्व साक्ष्यों के आधार पर साबित होगा। उक्त तीनों तत्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति, अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक साथ विद्यमान होने चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 के अन्तर्गत अपने में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्याय करने हेतु करना चाहिए। तदनुसार वह निषेधाज्ञा प्रदान कर सकता है।

14.3 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी द्वारा **वसीयत के पंजीकरण के प्रभाव** के सन्दर्भ में, यह भी तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि, वसीयत का मात्र पंजीकरण ही उसपर आच्छादित सभी शंकाओं को निर्मूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक उक्त शंका को निवारित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई अधिकार अथवा स्वत्व उक्त वसीयत के आधार पर धारित नहीं किया जा सकता।

14.4 प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि, सम्बन्धित वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज प्रतिवादी के पक्ष में है, पर उठाई गई सभी आपत्तियॉ वादी द्वारा है, अतः सबूत का भार वादी पर है कि, वह यह साबित करे कि, उक्त पंजीकृत वसीयत उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संदेहपूर्ण है, यह उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम निर्णय के समय ही निष्कर्षित किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र धारा 151 व आदेश 39 नियम 1 के स्तर पर केवल वादी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को ही देखना होता है। अतः अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था का लाभ अपने पक्ष में पाने का अधिकारी नहीं है।

14.5 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा **वे तथ्य एवं परिस्थितियां जोकि वसीयत पर संदेह उत्पन्न करती है**, के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **GURDIAL SINGH (DEAD) THROUGH LRs. V. JAGIR KAUR(DEAD) and another, 2025 (172) ALR 705** प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, जहां वसीयत अस्पष्ट प्रकृति की हो जिसके द्वारा सम्पत्ति भतीजे को हस्तांतरित की गयी हो तथा वास्तविक उत्तराधिकारी के प्रति पूर्ण रूप से मौन हो जबकि वसीयतकर्ता की स्वयं की पत्नी एवं नैसर्गिक वारिस जीवित हो। उपलब्ध परिस्थितियों का सम्पूर्ण मूल्यांकन करने के उपरांत जहां वसीयत पर उक्त परिस्थितियों में शंका उत्पन्न हो, ऐसी वसीयत को वसीयतकर्ता का स्वतंत्र इच्छा–पत्र (free will) नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था सम्बन्धित 'सिविल अपील' में दी गयी है जिसने विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयों का मूल्यांकन किया है, जबकि प्रस्तुत मामले में 'नियमित सिविल अपील' का निस्तारण ना होकर मात्र, 'प्रकीर्ण सिविल अपील' पर पारित विचारण न्यायालय के आदेश का मूल्यांकन करना है, जिसमें कि मात्र तीन बिन्दुओं (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति) पर विचार करना होता है। अपीलार्थी की ओर से 'सिविल अपील' में ही प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **Guro v. Atma Singh 1992(2)L.J.R.235 (SC)** एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर बेंच की व्यवस्था, **Ku.Chandan and others v.Longa Bai and another AIR 1998 MADHYA PRADESH 1** प्रस्तुत की गयी है। उक्त वर्णित आधार पर 'प्रकीर्ण दीवानी अपील' का अपीलार्थी ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का लाभ अपने पक्ष में पाने का अधिकारी है।

14.6 धारा 60 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा विलेख पर किये गये पृष्ठांकन (Endorsement) की उपधारणा के सम्बन्ध में, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की 4 न्यायमूर्तिगण की व्यवस्था, **Rani Purnima Debi and another v. Kumar Khagendra Narayan Deb and another, AIR 1962 (SC) 567** प्रस्तुत किया गया है, जिसका कि मेरे द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'यदि कोई वसीयत पंजीकृत है, तो यह वह परिस्थितियॉ उत्पन्न करता है, जोकि इसकी प्रमाणिकता (genuineness) को साबित करती है। किन्तु केवल यह तथ्य कि वसीयत पंजीकृत है उसके ऊपर आच्छादित सभी विद्यमान शंकाओं को, बिना साक्ष्य को प्रस्तुत किये, निवारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।' जोकि निम्न प्रकार है–

"If a will has been registered, that is a circumstance which

> ***may, having regard to the circumstances, prove its genuineness****. But the mere fact that a will is registered will not by itself be sufficient to dispel all suspicion regarding it where suspicion exists, without submitting the evidence of registra-tion to a close examination. If the evidence as to registration on a close.*"

14.7 माननीय उच्चतम न्यायालय की यह व्यवस्था, **माननीय 4 न्यायमूर्तिगण द्वारा दी गयी** व्यवस्था है। उक्त विधि व्यवस्था विचारण न्यायालय प्रथम, अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय के विरूद्ध 'स्पेशल लीव पिटीशन' के जरिये दाखिल याचिका में दी गयी थी। उक्त सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि, उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था की **प्रथम वाक्यांश** 'प्रारम्भिक स्तर पर जहां वादी के मामले को प्रथम दृष्टया देखा जाना होता है, वहां वसीयत का पंजीकरण ही पर्याप्त है' तथा **शेष वाक्यांश** 'वाद के अन्तिम निर्णय के स्तर पर सम्बन्धित वसीयत पर आच्छादित शंका को निर्मूल करने हेतु सम्बन्धित साक्ष्य की आवश्यकता होती है।' इस प्रकार वास्तव में यदि कोई वसीयत पंजीकृत है तो स्वयं में उसका पंजीकरण ही प्रथम दृष्टया उसकी प्रमाणिकता (genuineness) को साबित करता है, जोकि माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **प्रथम वाक्यांश** "***If a will has been registered, that is a circumstance which may, having regard to the circumstances, prove its genuineness.***" से ही स्पष्ट है।

14.8 उक्त बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था, **Riyaz Ahmad and others v. Prabhu Singh Second ARC,1995(2) 172** प्रस्तुत की गयी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित विक्रय विलेख **'कपट' (fraud)** के आधार पर उसके निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था; जबकि हस्तगत मामले में 'कपट' का कोई प्रश्न निहित नहीं है, बल्कि कपट से इतर अन्य आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त विधि व्यवस्था का लाभ अपने पक्ष में पाने का अधिकारी नहीं है।

14.9.1 अपीलार्थी की ओर से **छद्म इंकारी (evasive Denial) के बिन्दु पर** माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य विधि व्यवस्था, **Jahuri Sah and others v. Dwarika Prasad Jhunjhunwala and others, AIR 1967 (SC) 109** प्रस्तुत की गयी है, जिसका मेरा द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश 8 नियम 5 सिविल प्रकिय्रा संहिता के आधार पर यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'यदि वादपत्र के अभिवचन को

विशिष्ट रूप से अथवा आवश्यक कार्यान्वयन के जरिये इंकार नहीं किया जाता तो ऐसे अभिवचन को स्वीकृत अभिवचन माना जायेगा।' इस विधि व्यवस्था के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र एवं वाद–पत्र की धारा 2 में यह अंकित किया गया है कि, वसीयतकर्ता भोलानाथ द्वारा अपनी दुकान व गोदाम जिसे कि, उन्होंने अपनी कमाई से अपनी दोनो पुत्रियों, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती सुनीता देवी के नाम बनवाया था, उसके बीचोबीच गलियारे के ऊपर 'गीता–सुनीता भवन' लिखवाया है। भोलानाथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 2005 में रिटायर हुये उनकी पेंशन भी उक्त विभाग से मिलती थी जहां पर स्व0 भोलानाथ ने अपनी छोटी पुत्री श्रीमती सुनीता देवी जो तब तक कुंवारी थी का नाम बतौर नामिनी दर्ज कराया जो बदस्तूर चला आ रहा है। किन्तु इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा कोई 'विशिष्ट इन्कारी' (Specife denial) अपनी आपत्ति या जवाबदावे में नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में अपने जवाबदावे की धारा 2 में केवल यह कहा गया है कि 'वादपत्र की धारा 2 जिस तौर से तहरीर की गयी है, गलत व इंकार है।' अतः इस आधार पर वादपत्र की धारा 2 के कथनो को सही माना जाना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी।

14.9.2 उक्त तर्को के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि, यदि वादी द्वारा वाद पत्र की धारा–2 मे वर्णित कथनो को अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत कथन मान लिया जाये तो भी, यह तथ्य ऐसा नहीं है कि वह इच्छापत्र के पंजीकरण के तथ्य को खण्डित करता हो। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में अपीलार्थी उक्त व्यवस्था के आधार पर आक्षेपित आदेश को दूषित नहीं कह सकता और ना ही इस स्तर पर इसका कोई लाभ ही प्राप्त कर सकता है।

14.10 **<u>निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किये जाने के समय पक्षकारो के आचरण के बिन्दु पर</u>** विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **M/s.Gujrat Bottling Co.Ltd.and others. vs. Coca Cola Company and others AIR 1995 (SC) 2372** प्रस्तुत की गयी, जिसका मेरे द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'अन्तरिम व्यादेश पूर्ण रूप से 'साम्या' पर आधारित अनुतोष है, जिसमे कि पक्षकार का आचरण आक्षेप से परे होना चाहिए। यह नियम निषेधाज्ञा को हटाने के सन्दर्भ में याचना करने वाले पक्षकार के सन्दर्भ

में भी लागू है।'

14.11 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद की पोषणीयता, **धारा 143, उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत उद्घोषणा के प्रभाव एवं भूमिधरी पर व्यवसायिक एवं रिहाइशी आवास मौजूद होने की स्थिति में विधिक स्थिति के सन्दर्भ में** निम्नलिखित व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका मेरे द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया, जोकि निम्न प्रकार हैं–

"**BABU LAL and others vs. M/s. VIJAY SOLVEX LTD. and others 2015(126) RD 446 (SUPREME COURT)** इस विधि व्यवस्था का अवलम्ब लेते हुये विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, 'अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के स्तर पर न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह वाद की पोषणीयता के सन्दर्भ में मुख्य वाद बिन्दु पर अपना अभिमत दे।' इसी प्रकार अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था, **SHRI NIWAS and others vs. STATE OF U.P.and others 2017(136) RD 340 (ALLAHABAD HIGH COURT)** प्रस्तुत की गयी जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'धारा 331 उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दावे की पोषणीयता का प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए। यह प्रश्न अपीलीय न्यायालय अथवा निगरानी न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता।' इसी प्रकार अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की एक अन्य व्यवस्था, **RAMESH CHANDRA SINGH VS. LATIF AHMAD KHAN 2021(153) RD 679** प्रस्तुत की गयी जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'यदि कृषि भूमि को आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें धारा 143उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषि भूमि आवासीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जा रही है ऐसी स्थिति में सिविलकोर्ट अथवा लघुवाद न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।' उक्त समान बिन्दु पर ही माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था, **PURUSHOTTAM PRAKASH BANSAL and another vs. M/s.BHAGWATI SOLVENT EXTRACTION PVT.LTD.through its DIRECTOR and others 2015(126)RD 494** प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से **MANGOO SIGNH and others vs. RAM AUTAR 2024(165) RD 417** प्रस्तुत की गयी जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था

दी गयी है कि, 'भूमिधरी भूमि के सन्दर्भ में इच्छापत्र के निरस्तीकरण का वाद का क्षेत्राधिकार सिविलकोर्ट को है। राजस्व न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।'

15.1.1 प्रस्तुत मामले में **<u>प्रत्यर्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, प्रश्नगत वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण उसकी प्रमाणिकता के अनुमान के सन्दर्भ में,</u>** सम्बन्धित 'सिविल अपील' में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, **METPALLI LASUM BAI(DEAD) and others vs. METAPALLI MUTHAIH(DEAD) By LRs. 2026(170)RD 416** प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त व्यवस्था के पैरा–9 के सुसंगत अंशो का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> "**The Will, is a registered document and thus there is a presumption regarding genuineness thereof**. The trial Court accepted the execution of the Will based on the evidence led before it. As the Will is a registered document, the burden would lie on the party who disputed its existence thereof, who would be defendant-Muthaiah in this case, to establish that it was not executed in the manner as alleged or that there were suspicious circumstances which made the same doubtful."

15.1.2 **<u>किसी विलेख पर निबन्धन रजिस्ट्रार के पृष्ठांकन एवं इसकी उपधारणा के सन्दर्भ में</u>** प्रत्यर्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **Ishwar Dass Jain vs. Shonal lal, AIR 2000 (Supreme Court) 426** प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त विधि व्यवस्था के पैरा 27 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> "27. ..... The endorsement of the Sub-Registrar shows that the money of Rupees 1000/- was paid as mortgage money. **There is a presumption of the correctness of the endorsement made by the Sub-Registrar under Section 58 of the Registration Act (vide Baijnath Singh v. Jamal Bros & Co. AIR 1924 PC 48), it can be rebuttted only by strong evidence to the contrary.**"

15.1.3 इसी प्रकार **<u>सम्बन्धित कृषि भूमि का कृषि से इतर उपयोग होने के बावजूद भी धारा 143, उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की विधिक आवश्यकता</u>** के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था, **INDAL KUMAR KUSHWAHA(DEAD) and others vs. RAHESH KUMAR GUPTA and others 2007(103) RD 702** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ".....It is settled s position that an agricultural land would continue to an agricultural in nature unless officially notified to be non-agricultural in nature under section 143 of the U.P.Z.A. & L.R. Act. **Therefore, even though part of it may have been put to Abadi use, it shall remain to be an agricultural land in the ab-sence of a notification under section 143 of t the U.P.Z.A. & L.R. Act.**
>
> 18. My aforesaid view finds support from a decision of this Court in **Anirudha Kumar and another v. Chief Controlling Reve-_nue Authority, U.P., Allahabad and another,** wherein the Court held that an agricultural land cannot be treated to be a residential plot until there is a declaration under sec-tion 143 of the UPZA & LR Act."

15.1.4 इसी बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक अन्य व्यवस्था, **RANVIJAY SINGH and another vs. BOARD OF REVENUE, U.P.AT ALLAHABAD and others 2017 (134) RD 731** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> "9. It is settled law that agricultural th land continues to remain agricultural, even if it is not being used for agricul-tural purposes, till such time a valid declaration under section 143 of the Act has been granted."

15.1.5 उक्त बिन्दु पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **ADDITIONAL COMMISSIONER, REVENUE and others vs. AKHALAQ HUSSAIN and another 2020(147) RD 199** प्रस्तुत की गयी है, जिसके पैरा 17 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> "17. In the present case, the respondents have not produced any such document which shows that declaration required under section 143 of the Act has been made much less registered. In the absence of such declaration, the land is deemed to be an "agricultural land" as per the provisions of section 3(14) of the Act."

16. प्रश्नगत वसीयत की भूमि, कृषि–भूमि होने एवं उसके सन्दर्भ में **कृषि भूमि के उत्तराधिकार के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2)** का हवाला देते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा यह कहा गया है कि, उक्त धारा 108(2) की उपधारा **(e)** में उपबंध है कि मृतक पुरूष के भाई को, पुत्री के पुत्र जोकि धारा 108(2) की उपधारा **(H)** में है, उत्तराधिकार में वरीयता दी गयी है। इस आधार पर सम्बन्धित कृषि भूमि को उत्तराधिकार में

भी वादीगण प्राप्त करने के विधितः अधिकारी नहीं हैं।

17. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा **<u>धारा 39 नियम 1 के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर सम्बन्धित न्यायालय के 'संक्षित विचारण' (mini Trial) नहीं करना है,</u>** के बिन्दु पर, माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **JAGATGURU SHANKARACHARYA, SWAMI VASUDEVANAND V. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, ALLAHABAD and others 2004 All. C.J. 502** के पैरा 14 के सुसंगत अंशो का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> "**14**....**The apex Court in 2001 (5) SCC 568-2001 All. CJ 1334); Anand Prasad Agarwal v. Tarkeshwar Prasad and others, while considering the scope of application for temporary injunction under Order 39 Rules 1 and 2 held in paragraph 6- "It may not be appropriate for any Court to hold a mini trial at the stage of trant (sic grant) of temporary injunction**."

18.1 इस प्रकार वादी के प्रथम दृष्टया वाद को देखे जाने के समय पंजीकृत इच्छापत्र एवं उसके पंजीकृत होने के महत्व के सन्दर्भ में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्को एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं, विशेषकर अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की "**Rani Purnima Debi and another v. Kumar Khagendra Narayan Deb and another, AIR 1962 (SC) 567**" के मामले में दी गयी 4 न्यायमूर्तिगण की विधि व्यवस्था, जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसमें विशिष्ट रूप से यह कहा गया है कि, ***"If a will has been registered, that is a circumstance which may, having regard to the circumstances, prove its genuineness."*** इसी प्रकार प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय की अद्यतन विधि व्यवस्था, "**METPALLI LASUM BAI(DEAD) and others vs. METAPALLI MUTHAIH(DEAD) By LRs. 2026(170)RD 416**" के पैरा–9 में दी गयी व्यवस्था कि, "**The Will, is a registered document and thus there is a presumption regarding genuineness thereof**. The trial Court accepted the execution of the Will based on the evidence led before it. As the Will is a registered document, the burden would lie on the party who disputed its existence thereof, who would be defendant-Muthaiah in this case, to establish that it was not executed in the manner as alleged or that there were suspicious circumstances which made the same doubtful." के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि, प्रस्तुत मामले में जिस वसीयत के निरस्तीकरण के

सन्दर्भ में वादी द्वारा सम्बन्धित वाद प्रस्तुत किया गया है, वह एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसकी प्रमाणिकता के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया उपधारणा की जायेगी। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 के निस्तारण के दौरान वादी के प्रथम दृष्टया मामले को देखने के स्तर पर वसीयत की प्रमाणिकता के सन्दर्भ में यह उपधारणा वादी के प्रथम दृष्टया मामले को स्थापित करने हेतु पर्याप्त है। यह भी सुस्थापित विधि है कि, यह उपधारणा खण्डनीय है; किन्तु इस उपधारणा को दूसरे पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर खंडित किया जा सकता है और साक्ष्यों के आधार पर यह खण्डित दस्तावेज, वाद के अन्तिम निर्णय के स्तर पर ही देखा जा सकता है।

18.2 वादी के प्रथम दृष्टया मामले को देखते समय प्रस्तुत मामले मे प्रत्यर्थी की ओर से, "**Ishwar Dass Jain vs. Shonal lal AIR 2000, Supreme Court 426**" के मामले में प्रस्तुत उक्त वर्णित विधि व्यवस्था से यह भी स्पष्ट है, जैसा कि प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित इच्छापत्र के पृष्ठ संख्या–4 के पृष्ठ भाग पर यह पृष्ठांकन (endorsement) है कि **'निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून वसीयत कर्ता निष्पादित किया गया।'** इस पृष्ठांकन पर उपनिबन्धक रामसनेहीघाट, बाराबंकी के हस्ताक्षर हैं। अतः यह उपधारणा की जायेगी कि उक्त पृष्ठांकन उपनिबन्धन अधिकारी द्वारा अपने कार्य के सामान्य अनुक्रम मे की गयी एवं सही है, हालॉकि यह उपधारणा भी मजबूत साक्ष्य से खण्डित भी किया जा सकता है। हस्तगत वाद में वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र ग–6 के निस्तारण के स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह स्पष्ट हो कि उपनिबन्धन अधिकारी का उक्त पृष्ठांकन त्रुटिपूर्ण है एवं विधि के अनुरूप नहीं है।

18.3 अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, उक्त वसीयत पंजीकृत होने के आधार पर वादी के प्रथम दृष्टया मामले को निष्कर्षित करने के सन्दर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है, जिससे कि उक्त निष्कर्ष में इस अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप वांछित हो।

19. प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि, प्रश्नगत भूमि जिसके कि सन्दर्भ में उक्त इच्छा–पत्र लिखा गया है, वह एक कृषि–भूमि है, हालॉकि उसमें आवास एवं दुकानें बनी हुई हैं। किन्तु मात्र आवास एवं दुकाने बने रहने से उक्त कृषि–भूमि की नवैयत कृषि–भूमि से इतर नहीं हो सकती, जैसा कि इस सन्दर्भ में प्रत्यर्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के,

3 न्यायमूर्तिगण की उक्त वर्णित व्यवस्था, "**ADDITIONAL COMMISSIONER, REVENUE and others vs. AKHALAQ HUSSAIN and another"** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी है, जिसका कि ऊपर विस्तृत उल्लेख भी किया गया है कि, जब तक कृषि–भूमि के सन्दर्भ में धारा 143 में उद्घोषणा नहीं करवा ली जाती है तब तक वह भूमि कृषि–भूमि ही मानी जायगी चाहे उसका आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग क्यों ना किया जा रहा हो। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी "**RANVIJAY SINGH and another vs. BOARD OF REVENUE, U.P.AT ALLAHABAD and others"** तथा "**INDAL KUMAR KUSHWAHA(DEAD) and others vs. RAHESH KUMAR GUPTA and others**" के मामले में उक्त समान व्यवस्था दी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि की नवैयत उसपर सम्बन्धित मकान व दुकानें बने रहने के बावजूद भी कृषि–भूमि की ही रहेगी। अतः ऐसी स्थिति में, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा तर्क कि, धारा 108 भू राजस्व अधिनियम के आधार पर भी, वादीगण स्व0 भोलानाथ के पुत्री के पुत्र होने, एवं प्रत्यर्थीगण भोलानाथ के भाई होने, के कारण वरीयता के क्रम में प्रत्यर्थीगण ऊपर हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित भी किया गया है। इस आधार पर भी वादी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

20. अतः उक्त दोनो आधारों की मौजूदगी में वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को किसी अपूरणीय क्षति होने का कोई औचित्य ही उत्पन्न नहीं होता है।

21. अस्तु उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों की उक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.04.2018 (यथा संशोधित तिथि) को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि अथवा क्षेत्राधिकार की अनियमितता नहीं की गयी है, जिससे कि उक्त आक्षेपित आदेश में इस अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप वांछित हो। तदनुसार अवधार्य प्रश्न उत्तरित किया जाता है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 27.04.2018 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार अपीलार्थीगण/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–17/2018, अनुराग उर्फ दीपू आदि बनाम शिवकेश आदि, जो

विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 27.04.2018 के विरुद्ध दाखिल की गयी है, **खारिज** की जाती हैं, एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–46/2017 में पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 27.04.2018 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय व आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाय। लिपिक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। पक्षकार **दिनॉक 15.04.2026** को विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनॉक : 30.03.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक : 30.03.2026

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।